

मिट्टी तेल आवंटन

संख्या-03/2018/120/29-7-2018-एम-143/2006 टी0सी0

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 2- राज्य स्तरीय समन्वयक,
भारतीय तेल निगम,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक 09 अप्रैल, 2018

विषय:-भारत सरकार से प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल, मई व जून, 2018 के लिये प्राप्त मिट्टी के तेल का मासिक कम्पनीवार आवंटन।

महोदय,

भारत सरकार, पेट्रोलियम प्लानिंग एण्ड एनालिसिस सेल, नई दिल्ली (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय) के पत्र संख्या-डी-11013/01/2017-IV दिनांक 13-03-2018 द्वारा प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल, मई व जून, 2018 के लिये 221964 के0एल0 मिट्टी के तेल का आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

2- प्रश्नगत मिट्टी के तेल के आवंटन के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत दो प्रकार के लाभान्वित परिवारों की श्रेणी अर्थात् पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय का चयन किया गया है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार से प्राप्त प्रति माह आवंटन के सापेक्ष दिनांक 02 अप्रैल, 2018 तक पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों में 02 लीटर प्रति राशनकार्ड एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में 3.5 लीटर प्रति राशनकार्ड के आधार पर आवंटन तैयार किया गया है। यह आधार एक दिशा-निर्देश के रूप में परिचायक स्वरूप होगा। भारत सरकार से आगामी त्रैमासों में मिट्टी के तेल के आवंटन में कमी व बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप उसी प्रकार आवंटन को संशोधित किया जायेगा। तदनुसार प्रदेश के समस्त जनपदों को संलग्न तालिका के अनुसार मासिक आवंटन किया गया है। (संलग्न प्रति)

3- (क) जिलाधिकारी, हापुड द्वारा अपने पत्र संख्या-979/जि0पू0अ0/ई-पॉस/2018, दिनांक 27-02-2018 के माध्यम से जनपद हापुड में आई0ओ0सी0 कम्पनी में 60 के0एल0 एवं एच0पी0सी0 कम्पनी में 36 के0एल0 मिट्टी का तेल अवशेष बताते हुए इसका समायोजन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

करने की, की गयी अपेक्षा के क्रम में 12 के गुणांक में आईओसी कम्पनी का 12 केएल तथा एचपीसी कम्पनी का 12 केएल प्रति माह अर्थात त्रैमास में कुल 72 केएल का समायोजन करते हुए इसे जनपद के कुल आवश्यक तेल में तथा कम्पनीवार आवंटित तेल में कम करते हुए संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। उक्त समायोजित किये गये तेल का वितरण जनपद में अवशेष तेल में से कराया जाय।

(ख) जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा अपने पत्र संख्या-643/जिपूअ-पैटोलियम/18, दिनांक 14 मार्च, 2018 के माध्यम से जनपद मेरठ में आईओसी कम्पनी में 240 केएल, बीपीसी कम्पनी में 528 केएल एवं एचपीसी कम्पनी में 156 केएल कुल 924 केएल मिट्टी का तेल अवशेष बताते हुए इसका समायोजन करने की, की गयी अपेक्षा के क्रम में 12 के गुणांक में आईओसी कम्पनी का 72 केएल, बीपीसी कम्पनी का 168 केएल तथा एचपीसी कम्पनी का 48 केएल प्रति माह अर्थात त्रैमास में कुल 864 केएल समायोजन करते हुए इसे जनपद के कुल आवश्यक तेल में तथा कम्पनीवार आवंटित तेल में कम करते हुए संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। उक्त समायोजित किये गये तेल का वितरण जनपद में अवशेष तेल में से कराया जाय।

(ग) जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा अपने पत्र संख्या-1102/जिपूका/पे030-मिट्टी तेल/18, दिनांक 09-03-2018 के माध्यम से जनपद कानपुर नगर में आईओसी कम्पनी में 281 केएल, बीपीसी कम्पनी में 131 केएल एवं एचपीसी कम्पनी में 95 केएल कुल 507 केएल मिट्टी का तेल अवशेष बताते हुए इसका समायोजन करने की, की गयी अपेक्षा के क्रम में 12 के गुणांक में आईओसी कम्पनी का 84 केएल, बीपीसी कम्पनी का 36 केएल तथा एचपीसी कम्पनी का 24 केएल प्रति माह अर्थात त्रैमास में कुल 432 केएल का समायोजन करते हुए इसे जनपद के कुल आवश्यक तेल में तथा कम्पनीवार आवंटित तेल में कम करते हुए संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। उक्त समायोजित किये गये तेल का वितरण जनपद में अवशेष तेल में से कराया जाय।

(घ) जिलाधिकारी, ललितपुर द्वारा अपने पत्र संख्या-4354/जिपूअ/मि0तेल/2017-18, दिनांक 26-03-2018 के माध्यम से जनपद ललितपुर में आईओसी कम्पनी में 111.1425 केएल, बीपीसी कम्पनी में 11.2550 केएल एवं एचपीसी कम्पनी में 51.5375 केएल कुल 173.9350 केएल मिट्टी का तेल अवशेष बताते हुए इसका समायोजन करने की, की गयी अपेक्षा के क्रम में 12 के गुणांक में आईओसी कम्पनी का 36 केएल तथा एचपीसी कम्पनी का 12 केएल प्रति माह अर्थात त्रैमास में कुल 144 केएल का समायोजन करते हुए इसे जनपद के कुल आवश्यक तेल में तथा कम्पनीवार आवंटित तेल में कम करते हुए संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। उक्त समायोजित किये गये तेल का वितरण जनपद में अवशेष तेल में से कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों में 02 लीटर प्रति राशन कार्ड एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में 3.5 लीटर प्रति राशनकार्ड मिट्टी के तेल के वितरण के उपरांत जो भी तेल अवशेष बचेगा उसे जिलाधिकारी जनपद स्तर पर सुरक्षित रखते हुए इसका लेखा-जोखा रखेंगे।

5- शासन स्तर से आवंटित मिट्टी के तेल के वितरण का सत्यापन खाद्यान्न के वितरण के सत्यापन की भांति कराते हुए आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा संकलित आख्या प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराई जायेगी, ताकि मिट्टी के तेल के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके। इस हेतु संबंधित जिलापूर्ति अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे।

6- उक्त के अतिरिक्त यह भी निदेश है कि शासनादेश संख्या-2490/29-6-2015-सा/98, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार मिट्टी के तेल के उठान, वितरण एवं सत्यापन हेतु रोस्टर के निर्धारण का अनुपालन सुनिश्चित करें।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-कम्पनीवार ब्रेक-अप।

भवदीय,
(अशोक कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या-03/2018/120(1)/29-7-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, 30प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-03/2018/120/29-7-2018-एम-143/2006 टी0सी0, दिनांक 09
अप्रैल, 2018 का संलग्नक

क्र0	जनपद का नाम	आई0ओ0सी0	एच0पी0सी0	बी0पी0सी0	योग
1-	आगरा	864	180	312	1356
2-	अलीगढ़	816	168	288	1272
3-	इलाहाबाद	1392	288	504	2184
4-	अम्बेडकर नगर	792	0	0	792
5-	अमेठी	504	96	180	780
6-	अमरोहा	420	288	0	708
7-	औरैया	348	72	132	552
8-	आजमगढ़	1008	228	384	1620
9-	बागपत	240	48	96	384
10-	बहराइच	1044	444	0	1488
11-	बलिया	828	168	300	1296
12-	बलरामपुर	420	0	288	708
13-	बांदा	456	0	300	756
14-	बाराबंकी	900	204	324	1428
15-	बरेली	1068	216	396	1680
16-	बस्ती	564	0	384	948
17-	बिजनौर	780	156	288	1224
18-	बदायूं	696	144	240	1080
19-	बुलन्दशहर	804	168	276	1248
20-	चन्दौली	444	96	156	696
21-	चित्रकूट	288	0	120	408
22-	देवरिया	744	156	264	1164
23-	एटा	600	0	0	600
24-	इटावा	408	84	144	636
25-	फैजाबाद	564	120	192	876
26-	फर्रुखाबाद	264	0	384	648

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

27-	फतेहपुर	624	132	216	972
28-	फिरोजाबाद	564	324	0	888
29-	गौतमबुद्धनगर	444	0	0	444
30-	गाजियाबाद	480	96	180	756
31-	गाजीपुर	816	168	300	1284
32-	गोण्डा	780	156	288	1224
33-	गोरखपुर	1008	204	360	1572
34-	हमीरपुर	276	0	168	444
35-	हापुड	240	168	0	408
36-	हरदोई	1116	228	420	1764
37-	हाथरस	360	72	132	564
38-	जालौन	396	84	156	636
39-	जौनपुर	1104	216	408	1728
40-	झांसी	432	288	0	720
41-	कन्नौज	360	252	0	612
42-	कानपुर देहात	420	288	0	708
43-	कानपुर नगर	828	156	288	1272
44-	कासगंज	312	204	0	516
45-	कौशाम्बी	396	0	240	636
46-	लखीमपुर खीरी	1140	240	408	1788
47-	कुशीनगर	1080	216	396	1692
48-	ललितपुर	276	192	0	468
49-	लखनऊ	900	180	336	1416
50-	महोबा	0	72	300	372
51-	महराजगंज	1008	0	0	1008
52-	मैनपुरी	408	0	276	684
53-	मथुरा	624	132	216	972
54-	मऊ	516	108	192	816
55-	मेरठ	564	84	72	720

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

56-	मिरजापुर	600	120	216	936
57-	मुरादाबाद	684	144	240	1068
58-	मुजफ्फरनगर	648	132	228	1008
59-	पीलीभीत	612	0	144	756
60-	प्रतापगढ़	696	0	432	1128
61-	रायबरेली	768	168	276	1212
62-	रामपुर	540	120	192	852
63-	सहारनपुर	720	144	288	1152
64-	सम्भल	492	96	180	768
65-	संतकबीरनगर	696	0	0	696
66-	संतरविदास नगर (भदोही)	396	0	264	660
67-	शाहजहांपुर	720	144	264	1128
68-	शामली	264	60	108	432
69-	श्रावस्ती	276	0	180	456
70-	सिद्धार्थनगर	588	0	408	996
71-	सीतापुर	1164	228	432	1824
72-	सोनभद्र	456	0	348	804
73-	सुल्तानपुर	600	120	216	936
74-	उन्नाव	828	168	324	1320
75-	वाराणसी	804	168	276	1248
	योग	47280	9396	16320	72996

भवदीय,
(अशोक कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।